कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांकः 9611 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-68/01 दिनांकः 13/12/2010

कार्यालय-ज्ञाप

मेसर्स सिंघल बिल्डर्स, 98ए, रंजीतनगर, भरतपुर (राजस्थान) का मार्ग कार्य करने हेतु श्रेणी 'ए' में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-1432एम0टी0/54एम0-68/01 दि0-28.4.2001 द्वारा दि0--30.6.2003 तक के लिये तथा अन्तिम नवीनीकरण पत्रांक-5545एम0टी0/सामान्य वर्ग/ 54एम0-68/01 दि0-29.7.2009 द्वारा दि0 30.6.2012 तक के लिये किया गया था।

मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0 आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार फर्म/ठेकेदार द्वारा जनपद-मथुरा में डागोली होते हुए वृन्दावन-मांट पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य अनुबंध सं0-57/एस0ई0 दि0-15.9.2008 के द्वारा कराया गया है। फर्म/ठेकेदार द्वारा कराया गया निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त मार्ग की शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी जांच में मार्ग निर्माण में गंभीर अनियमितताये पाई गयी। अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-1, लो0नि0वि0 मथुरा के पत्रांक-1124/कैम्प-ई0ई0-15/10 दि0-09.08.2010, पत्रांक-1129/कैम्प-ईई-15-/10 दि0-12.8.2010, पत्रांक-2338/सी0-1 दि0-4.10.2010 एवं 2361/ सी0-1 दि0-11.10.2010 द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने हेतु नोटिस दिये गये, परन्तु फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार मार्ग को ठीक नही किया गया। इसके पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0 आगरा के पत्रांक-4741/485सी-आ0वृ0/2010 दि0-25.10.2010 द्वारा ठेकेदार को मार्ग ठीक करने हेतु अन्तिम नोटिस दिया गया। इसके उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा मार्ग को ठीक नही किया गया। अन्त में अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0 आगरा के पत्रांक-5384/ 485सी0/अ0वृ0/2010 दि0-10.11.2010 द्वारा अनुबंध शर्त की सं0-52 के अन्तर्गत जनहित में फर्म/ठेकेदार का अनुबंध आर्थिक दण्ड के साथ निरस्त कर दिया गया।

इसी प्रकार ठेकेदार/फर्म द्वारा जनपद-मथुरा में कोसी-कामर-कोटवन मार्ग का निर्माण कार्य अनुबंध सं0-92/एस0ई0 दि0-3.1.2009 द्वारा कराया गया। ठेकेदार द्वारा किया गया निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त हो गया। इस मार्ग पर शासन द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गयी जांच में मार्ग निर्माण में गंभीर अनियमितताये पाई गयी। अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-1, लो0नि0वि0 मथुरा के पत्रांक-2336/सी0-1 दि0-4.10.2010 एवं पत्रांक-2362/सी0-1 दि0-11.10.2010 द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने हेतु नोटिस दिये गये, परन्तु ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार मार्ग को ठीक नही किया गया। इसके पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त के पत्रांक-4742/485सी0-अ0वृ0/10 दि0-25.10.2010 द्वारा ठेकेदार को मार्ग ठीक करने हेतु अन्तिम नोटिस दिया गया। इसके उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा मार्ग को ठीक नही किया गया। अन्त में अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लो0नि0वि0 आगरा के पत्रांक-5384(1)/485सी0-अ0वृ0/2010 दि0-10.11.2010 द्वारा अनुबंध की शर्त सं0-52 के अन्तर्गत जनहित में फर्म/ठेकेदार का अनुबंध आर्थिक दण्ड के साथ निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य न करने अधोमानक गुणता का कार्य करने, अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मार्ग को ठीक करने हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने, जनमानस को यातायात में कठिनाई पहुंचाने एवं विभाग की छवि धूमिल करने के लिये उत्तरदायी पाया गया।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-9176एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-68/01 दि0-25.10.2010 द्वारा उक्त ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस दी गयी, जिसका उत्तर 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। ठेकेदार द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर निर्धारित अवधि में नहीं दिया गया। अतः उक्त कृत्य हेतु फर्म/ठेकेदार को दोषी मानते हुए मेसर्स सिंघल बिल्डर्स, 98ए, रंजीतनगर, भरतपुर (राजस्थान) का पंजीकरण निरस्त करते हुए उक्त फर्म को कालीसूची में डाले जाने के आदेश पारित किये जाते है।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

ह0/-
(आर0के0 गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता(मु0-2)
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे

शेष 2.....पर

इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।

2. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0 आगरा को उनके पत्रांक-3कैम्प/19 एस0टी0-आ0क दि0-19.11.2010 के संदर्भ में।

3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड/उ0प्र0 सेतु निगम, लखनऊ।

4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।

पंजीकृत 7. मेसर्स सिघल बिल्डर्स, 98ए, रंजीतनगर, भरतपुर (राजस्थान)।

मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0, लखनऊ